

एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी : धामी

जनसत्ता संवाददाता देहरादून 6 मार्च

मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के तहत आयोजित महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘एकल महिला संबंध संशक्तिकरण की ओर’ विषय पर आयोजित कार्यक्रम में यह घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं को सम्मानित भी किया। वात्सल्य योजना के 6286 लाभार्थियों को डिजिटल हस्तांतरण किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने मातृशक्ति को नमन करते हुए कहा कि हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा प्राप्त है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है,वे हर जगह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ी हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपने आपको सावित किया है। आज प्रदेश के दुर्गम गांवों में महिलाएं स्वयं सहायता समूह के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर रही हैं।

विपक्षी नेताओं को पकड़ने के लिए अधिकारियों पर दबाव : कांग्रेस

बेलगावी (कर्नाटक), 6 मार्च (भाषा)।

कनर्टाक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने सोमवार को आरोप लगाया कि स्वयं के एक विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही राज्य की सत्ताधारी भाजपा आयकर और लोकायुक्त अधिकारियों पर विपक्षी दलों के लोगों को इसी तरह के मामलों में पकड़ने और उनके सहित कुछ नेताओं के आसपास रहने वाले व्यक्तियों पर निगरानी रखने का दबाव बना रही है।

लोकायुक्त ने कथित रिक्त मामले में भाजपा विधायक मदन विरुपाक्षपा के बेटे वी प्रशांत मदन से पिछले सप्ताह आठ करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की थी, जिससे मई में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। शिवकुमार ने कहा, ‘वे (भाजपा) शर्मिंदा हैं, इसलिए कांग्रेस और जद (एस) के नेताओं को पकड़ने के लिए आयकर, लोकायुक्त और अन्य के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है।’

महिला कर्मों के यौन उत्पीड़न के दोषी को सश्रम कैद

ठाणे, 6 मार्च (भाषा)।

महाराष्ट्र में ठाणे जिले की एक अदालत ने एक महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न के लिए एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अध्यक्ष को छह महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट पी आई सूर्यवंशी ने वर्तनीटी कमर्शियल प्रिमाइसेस सीएचएस के अध्यक्ष विलास जयराम पवार (52) को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी ठहराया है। यह आदेश 24 फरवरी को पारित किया गया लेकिन इसकी प्रति

सोमवार को उपलब्ध हुई। अभियोजन के अनुसार, महिला ने प्रशासनिक कर्मों के तौर पर दिसंबर 2019 में इस वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में काम करना शुरू किया था। शुरुआत में आरोपी ने उससे अच्छा बर्ताव किया और जब उसे पता चला कि वह अपने पति से अलग रह रही है तो उसने उसका मानसिक उत्पीड़न शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को अपने केबिन में बुलाता तथा उस पर भद्दी टिप्पणियाँ करता था। जब वह केबिन से जाने की कोशिश करती तो वह उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता था।

दो नकाबपोश बदमाश बैंक से दस लाख रुपए लूट कर फरार

जयपुर, 6 मार्च (भाषा)।

जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह दो नकाबपोश बदमाशों ने एक बैंक में घुसकर दस लाख रुपए नकद लूट

कर फरार हो गए। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह दो नकाबपोश बदमाश डीसीएम चौराहे स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में घुसे और कर्मचारियों को पिस्तौल का भय दिखा कर

तिजोरी से दस लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि दोनों बदमाश पैदल आए थे और जाते समय बैंक के एक कर्मचारी को बाइक लेकर सीकर की तरफ फरार हो गए।

POONAWALLA HOUSING FINANCE
Alpha Clear, Alpha Pathshala

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में मेग्ना हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
पंजीकृत कार्यालय : 602, 60वाँ ताल, जीरो वन आईटी पार्क, सीए नं. 79/1, घोरापाड़ी, मुंबय रोड, पुणे-411036
शाखा कार्यालय इकाई : 8, संत नगर, नई दिल्ली-110065

ई-नीलामी विक्रय सूचना, सरफॉएसि अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूत अचल परिसंपत्ति का विक्रय

एलएनआ सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं/गारंटर्स को सूचित किया जाता है कि मेग्ना हाउसिंग फाइनेंस लि. के पास बकाकूत निम्नलिखित संपत्तियां अब निगामीकरण के प्रमाणपत्र द्वारा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. (पीएचएफएल) के रूप में नवनामित हो चुकी हैं। इनका अधिग्रहण सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4)/धारा 14 के अंतर्गत पीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कर लिया गया था। अब इन्हें निम्न लिखित नियमों के अनुसार ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा। यह विषय प्रमुख ब्याज, शुल्कों एवं लागतों इत्यादि के साथ पीएचएफएल की बकाया देय शर्तियों की वस्तुओं के लिये किया जायेगा। निम्न लिखित संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत "जेसी ई जहा है, वहा जो कुछ भी है तथा विना उपमय आधार" पर बेचा जायेगा।
विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया पीएचएफएल/प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.poonawallahousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव सं. ग्राहक का नाम (एच.एस. क्र.सं.)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (₹)	आवक/हम की प्रकृति (सी)	संपत्ति का विवरण (सी)	आंशिक मूल्य (₹)	धराज (आर्या की 10%) (एए)	पंजीयन करने की तिथि (डी)	बुद्धिशील बॉली (₹)	पूनावाला हाउसिंग लि. एवं अन्य (₹)	पंजीयन की तिथि और समय (डी)	आवक/पंजीयन/पंजीयन की प्रकृति और कोई (₹)
०००३११७१/१००१५२ रु. ८६,७२,१६८.०४/- (अष्टसे प्रतिशत लाख बहालतर हज़ार एक सौ अड़सठ एवं चार पैसे मात्र) जो २१.०६.२०२२ के अनुसार वसुलीकरण तक ११.८० करोड़ अंतिम या संश्लेषिक भेंटिंग नहीं देता है। या जारी नहीं करता है।	सूचना तिथि: २१.०६.२०२२. बुजुं वैकल्पिक: रु. ८६,७२,१६८.०४/- (अष्टसे प्रतिशत लाख बहालतर हज़ार एक सौ अड़सठ एवं चार पैसे मात्र) जो २१.०६.२०२२ के अनुसार वसुलीकरण तक ११.८० करोड़ अंतिम या संश्लेषिक भेंटिंग नहीं देता है। या जारी नहीं करता है।	नौतिक	बकाकूत संपत्ति सं. २/३१, पुरानी सं. २७ के समस्त वह भाग तथा अंश जिनकी माप ५४ वर्ग गज है, जो खरस सं. २७अंतिम, में से भाग बाबरपुर के क्षेत्र में महाजिद वाली माली की आवादी वाली बाबरपुर इलाका शाहदवा, दिल्ली में स्थित है।	₹ 77,३१,५१,५१7.५	₹	२३.०३.२०२३ को ५ बजे से पूर्व	₹ 10,०००/-	₹	17.०३.२०२३ को (11 बजे-४ बजे)	₹
रु. १०,००,०००.०० (दस लाख बहालतर हज़ार एक सौ चित्तरतर पैसे मात्र)				₹ 7,७३,१५,१५१.७५ (अष्टसे साठ लाख बहालतर हज़ार एक सौ चित्तरतर पैसे मात्र)	₹	२३.०३.२०२३ को ५ बजे से पूर्व	₹ 10,०००/-	₹	२३.०३.२०२३ को (11 बजे-२ बजे)	₹

अंतिम एवं अन्य विवरणों तथा पछताओं के लिये इकनात आलम को, मोबाइल 99६८१९५५३ पर संपर्क करें

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे पीएचएफएल शाखा और नीलामीगत संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पृष्ठताएं करें और अतिरिक्त शुल्कों, ऋणमार्गों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले उनसे संबंधित सभी पहलुओं के संबंध में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति कर, बिजली/पानी का बकाया और कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, जो संपत्ति से जुड़ा हो, को सुनिश्चित किया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा उनका मुताबत वहन किया जाना चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अपेक्षित है कि वे निम्न लिखित नीलामी सेवा प्रदाता मेसेंज नैक्सेन सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पता- # २०३, द्वितीय ताल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर 4 व ६ अंतिम, रेलवे रोड, गुरुग्राम १२२ ००६ (संपर्क नं. 91 931०० 2९९३३/91 981०० 2९९३३), संपर्क वेबसाइट सर्बिस डिजीटल (सीएसडी) सेल नं. (नी.) 91 931०० 2९९३३/91 981०० 2९९३६ (दूर.) 91 12४ 4 २३३ ९३३, ईमेल आईडी : CSD@DisposalHub.Com के वेब पोर्टल <https://DisposalHub.Com> पर ई-बोलीदान और ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु स्वयं को अनिवार्य रूप में पंजीकृत कर लें तथा आराम रूप में ऑफ़िन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें। इच्छुक बोलीदाता/खरीदार को २३/०३/२०२३ तक 'पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड', आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में एनईएफडी/आरटीजीएस/ओडी के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीयभूत या अनुसूचित बैंक पर अहारित बकाया जमा राशि (ईएमडी) की राशि खाता संख्या ०००५१०००४६०, आईएफएससी कोड ICIC००००००६०, २०.आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता-७००००१ में जमा करनी होगी। और वेब पोर्टल पंजीकरण के उपरान्त इच्छुक बोलीदाता/खरीदार से अपेक्षा है कि अपनोडक्यू, ई-मेलकूत बोली प्रलेखों की प्रतियां प्राप्त करें तथा उन्हें स्वयं-प्रमाणित करके प्राधिकृत अधिकारी, श्री वीरेंद्र सिंह, पता-८ संत नगर, नई दिल्ली ११००६५ मोबाइल नं. ९१ ९६३४९१४३६, ई-मेल आईडी birander.singh@poonawallahousing.com को भेजें।

स्थान : दिल्ली
दिनांक : ०७-0३-२०२३

प्राधिकृत अधिकारी, पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मेग्ना हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)

अजीत कुमार श्रीवास्तव - आयु ५८ वर्ष, वे आईआईटी खडगपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं. उन्होंने एमएसएमई को शामिल करते हुए एक वैदर इकोसिस्टम तैयार किया है और पूरे उत्तरी भारत को कावर करते हुए रीजनल क्वालिटी एश्योरेंस विंग की स्थापना की है. एक जिला/क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में, उन्होंने निर्माण उपकरणों के लिए अब तक का पहला डीलर नेटवर्क स्थापित किया है.

प्रमुख मुचिनामाने सित्पाय - आयु ६६ वर्ष, मैसूर विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में कला स्नातक हैं और बैंगलुरु विश्वविद्यालय से कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में पीजी डिप्लोमा धारक हैं. इसके अलावा, उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की है. उन्होंने राज्य और केंद्रीय सार्वजनिक उपकरणों में सेवा प्रदान की है और मानव संसाधन, प्रशासन और कानूनी मामलों के सभी क्षेत्रों में ३२ से अधिक वर्षों का समृद्ध अनुभव है.

व्यापार अवलोकन

बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड एक सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसे १५ जुलाई, 2०21 को कंपनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के तहत निगमित किया गया तथा जो सीआईएन.७०१०9KA2०2१G0I1४9४8६ धारक है एवं कंपनी रजिस्ट्रार, बैंगलुरु के साथ पंजीकृत किया गया है. कंपनी का पंजीकृत कार्यालय बीईएमएल तोषा 2३/१, 4था मुख्य रोड, सम्पर्गी रामनगर, बैंगलुरु 5६०0२7, कर्नाटक भारत में है.

बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड को बीईएमएल लिमिटेड से कंपनी को चिन्हित सरग्रस/नॉन-कोर एसेट्स के हस्तांतरण के माध्यम से पुनर्निर्माण और विभाजन के उद्देश्य से शामिल किया गया है.

डीमर्जर के कारण :

योजना के खण्ड डी में निर्धारित योजना के लिए तर्क निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है : (i) सूचना ज्ञापन के अनुसार, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) ("प्रशासनिक मंत्रालय") के माध्यम से बीईएमएल की ५4.0३% इक्विटी शेयर पूंजीधारक है.

(ii) भारत सरकार ("जीओआई") ने प्रबंधन नियंत्रण ("सामरिक विनियोग") के हस्तांतरण के साथ रणनीतिक विनियोग के माध्यम से बीईएमएल लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी का २६.00% विनियोग करने का 'सैद्धांतिक' निर्णय लिया था.

(iii) बीईएमएल के पास अपनी विभिन्न विनिर्माण सुविधाओं, कॉर्पोरेट कार्यालय, विपणन और क्षेत्रीय कार्यालयों में भारतभर में फैले भूमि भाग और भवन हैं, जिनमें से कुछ भूमि के भाग और भवन ऐसे हैं जिन्हें अधिशेष/गेर-प्रमुख संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है. बीईएमएल की अधिशेष/गेर-मुख्य भूमि और भवन विवरण को इसके बाद "चिन्हित अधिशेष/गेर-प्रमुख संपत्ति" के रूप में संदर्भित किया जाता है.

(iv) बीईएमएल के निदेशक मंडल ने भारत सरकार के निर्णय के आधार पर चिन्हित अधिशेष/गेर-प्रमुख संपत्तियों को अलग - अलग करने और इसे रणनीतिक विनियोग की प्रक्रिया से बाहर करने पर सहमति व्यक्त की है. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, चिन्हित अधिशेष/गेर-प्रमुख संपत्तियों को बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड में हिसाब किया जा रहा है.

(v) बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड को चिन्हित अधिशेष/गेर-प्रमुख संपत्तियों के हस्तांतरण के माध्यम से पुनर्निर्माण और विभाजन, आयकर अधिनियम, १९६१ की धारा २(१९ए) के स्पष्टीकरण 6 के संदर्भ में किया जाना है.

आंतरिक जोखिम कारक

१. हमारी कंपनी, प्रमोटर और निदेशकों सहित उनके द्वारा तथा विरुद्ध कोई बकाया कानूनी कार्यवाही नहीं है. इस सूचना ज्ञापन की तिथि के अनुसार हमारी कंपनी, प्रवर्तक और निदेशकों सहित उनके द्वारा और उनके विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, जांच अधिकारियों, कर अधिकारियों और अपीलनीय अधिकारियों के समक्ष निर्णय के विभिन्न स्तरों पर कोई कानूनी कार्यवाही प्रलंबित नहीं है. विवरण के लिए, कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.blai.in पर उपलब्ध कंपनी के सूचना ज्ञापन में "प्रलंबित मुकदमें और अन्य तथ्यात्मक प्रगति" शीर्षक वाला अध्याय देखें.

2. हमारी कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, २०15 के तहत बतए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रावधानों के अनुपालन की प्रक्रिया में है. हमारी कंपनी रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के प्रशासनिक नियंत्रण में है. इसलिए कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी, जिसके लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध होने के लिए बोर्ड में अपेक्षित निदेशकों की नियुक्ति के लिए रक्षा मंत्रालय को बताने ही सख्त चुकी है क्योंकि कंपनी के पास यही एकमात्र विकल्प उपलब्ध है. रक्षा मंत्रालय द्वारा निदेशकों की नियुक्ति के बाद, कंपनी सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2०१५ के तहत कॉर्पोरेट गवर्नेंस आवश्यकताओं सहित निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित समितियों का गठन करने की स्थिति में होगी. इसके अलावा, इस संबंध में एक क्षमा आवेदन ०4 जनवरी, २०२3 को सेबी को प्रस्तुत किया गया था. इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि अनुपालन में इस तरह की देरी हमारी कंपनी को नियामक निकायों द्वारा भविष्य में जुर्माने और कार्यवाही के लिए उजागर नहीं करेगी.

३. हमारी कंपनी ने अतीत में कुछ कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के लिए आरओसी के साथ फाइलिंग में देरी की है. हमारी कंपनी ने पूर्व में अनजाने में कंपनी अधिनियम, २01३ के तहत निर्धारित समय के भीतर फॉर्म MGT-१४ दाखिल करने में देरी की है अर्थात् 24 जुलाई, 2०21 को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के लिए जिसमें योजना को मंजूरी दी गई थी. जबकि हमने विलंबित फाइलिंग के समय कंपनी अधिनियम, २01३ के तहत निर्धारित अपेक्षित विलंब शुल्क का भुगतान किया है, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि अतीत में इस तरह की देरी से फाइलिंग हमारी कंपनी को नियामक निकायों द्वारा आगे के जुर्माने और कार्यवाही के लिए उजागर नहीं करेगी. इसके अलावा, इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि भविष्य में ऐसी विलंबित रिपोर्टिंग नहीं होगी.

4. हम अपने प्रमोटर, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों पर उनकी निरंतर सेवाओं और रणनीतिक मार्गदर्शन और समर्थन के माध्यम से अपने व्यवसाय की निरंतर सफलता के लिए बहुत अधिक निर्भर हैं. हमारी सफलता हमारे प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की निरंतर सेवाओं के साथ-साथ हमारे प्रमोटर के समर्थन पर निर्भर करती है. हम अपनी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को निष्पादित करने के लिए अपने प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों पर भी काफी हद तक निर्भर करते हैं. हमारे किसी भी प्रमोटर, निदेशकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों की हानि, या उपर्युक्त या तुलनीय प्रतिस्थापन की भर्ती में विफलता का हम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. प्रमोटर, निदेशकों और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन की सेवा की हानि व्यवसाय को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने और विस्तार करने की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है. यदि हम योग्य कर्मचारियों को उचित लागत पर बनाए रखने में असमर्थ हैं, तो हम अपनी विकास रणनीति को क्रियान्वित करने में असमर्थ हो सकते हैं. हमारे निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.blai.in पर उपलब्ध कंपनी के सूचना ज्ञापन में अनुभाग "हमारा प्रबंधन" देखें.

५. पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थता हमारे संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की हमारी क्षमता को प्रभावित कर सकती है, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धियां या सूचना चूक हो सकती है. जैसा कि हम विस्तार करना जारी रखते हैं, हमारी सफलता हमारे संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने और आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने की हमारी क्षमता पर निर्भर करती है. हमें अपनी विकासित व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी वित्तीय और प्रबंधन नियंत्रण प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग प्रणालियों और प्रक्रियाओं और अन्य आंतरिक नियंत्रणों और अनुपालन प्रक्रियाओं को संशोधित करने और सुधारने की आवश्यकता हो सकती है. यदि हम अपने नियंत्रणों, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार करने में असमर्थ हैं, तो वे अप्रभावी हो सकते हैं और हमारे संचालन को प्रबंधित करने की हमारी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वृद्धियां या सूचना चूकें

होती हैं जो हमारे व्यवसाय को प्रभावित करती हैं. हमारी आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में सुधार के हमारे प्रयासों का परिणाम सभी जोखिमों को दूर करने में नहीं हो सकता है. यदि हम भविष्य में अपने आंतरिक नियंत्रणों में कमजोरियों का पता लगाने और उन्हें दूर करने में सफल नहीं होते हैं, तो हमारे व्यवसाय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की हमारी क्षमता भौतिक और प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है.

६. भारत और जिन भौगोलिक क्षेत्रों में हम काम करते हैं, उनमें सामान्य आर्थिक और बाजार स्थिति हमारे व्यापार, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह, संचालन के परिणाम और संभावनाओं पर एक महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. हमारा व्यवसाय भारत और अन्य न्यायक्षेत्रों में जहां हम काम करते हैं, आर्थिक और बाजार की स्थितियों पर अत्यधिक निर्भर है. भारत में सामान्य आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां, जैसे मैक्रोइकोनॉमिक और मौद्रिक नीतियां, उद्योग-विशिष्ट स्थान, वित्तीय और अधिग्रहण गतिविधि, वित्तीय और प्रतिभूति उद्योगों से संबंधित कानून और नियम, धरोखू, बचत दर, वैकल्पिक वित्तीय साधनों में निवेश, बाजार, व्यापार और वित्तीय क्षेत्रों में उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति, सुरक्षा कीमतों में अस्थिरता, भारतीय पूंजी बाजार के आकर्षण की कथित कमी, मुद्रास्फीति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उपभोक्ता विश्वास, मुद्रा और ब्याज दर में उतार-चढ़ाव, अत्यंतकालिक और दीर्घकालिक बाजार निधि की उपलब्धता स्रोत और धर की लागत, हमारे व्यवसाय को प्रभावित कर सकते हैं. वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां भी भारतीय आर्थिक स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं. बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और भारतीय पूंजी बाजारों ने अतीत में महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव किया है. भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल के दिनों में उच्च मुद्रास्फीति की अवधि को बनाए रखा है. यदि मुद्रास्फीति या वारतविक ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, तो वो बढ़ी हुई वित्तीय बचत की प्रवृत्ति धीमी या विपरीत हो सकती है. हमारी कर्मचारी लागत बढ़ सकती है और हमारे कई उत्पादों और सेवाओं की विक्री में गिरावट आ सकती है.

7. यदि हम व्यावसायिक अवसरों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो हम अपने वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. हमारे वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की हमारी क्षमता व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने, उनका मूल्यांकन करने और उन्हें पूरा करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करेगी. अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, हमें नए कर्मचारियों को नियुक्त करने, प्रशिक्षित करने, पर्यवेक्षण करने और प्रबंधित करने और हमारे विकास को प्रभावी ढंग से समायोजित करने में सक्षम प्रणालियों को लागू करने की आवश्यकता होगी. हालांकि, हम आपके आवश्यक नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी कर्मचारी हमारे व्यवसाय की सफलता में योगदान देगा या हम ऐसी प्रणालियों को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे. व्यवसाय के अवसरों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में हमारी विफलता का हमारे व्यवसाय, वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. यह भी संभव है कि भविष्य में हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियां वर्तमान में उपयोग की जाने वाली रणनीतियों से भिन्न हों. इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है कि बाजार और अन्य डेटा या हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियों या भविष्य में उपयोग करने की योजना के हमारे विश्लेषण विभिन्न बाजार स्थितियों के तहत सफल होंगे.

8. भविष्य में लाभांश का भुगतान करने की हमारी क्षमता हमारी भविष्य की आय, वित्तीय स्थिति, नकदी प्रवाह, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं, पूंजीगत व्यय और हमारी वित्तीय व्यवस्थाओं में प्रतिबंधात्मक अनुबंधों पर निर्भर करेगी. हम अपनी भविष्य की सभी आय, यदि कोई हो, अपने व्यवसाय के संचालन और विस्तार में उपयोग के लिए अपने पास रख सकते हैं. परिणामस्वरूप, हम निकट भविष्य में लाभांश की घोषणा नहीं कर सकते हैं. लाभांश की घोषणा और भुगतान के बारे में कोई भी भविष्य निर्धारण हमारे निदेशक मंडल के विवेक पर होगा और उन कारकों पर निर्भर करेगा जो हमारे निदेशक मंडल प्रासंगिक मानते हैं, जिनमें हमारे संचालन के परिणाम, वित्तीय स्थिति, नकद आवश्यकताएं, व्यवसाय संभावनाएं और कोई अन्य वित्तपोषण व्यवस्था सहित अन्य शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, हमारे कुछ ऋण समझौतों के तहत, हमें किसी भी लाभांश की घोषणा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि ऐसे ऋण समझौतों के तहत कोई चूक होती है या जब तक कि हमारी कंपनी ने ऋणदाता को लाभांश घोषित होने की तारीख तक सभी देय राशि का भुगतान नहीं किया है या भुगतान किया है या उसके संतोषजनक प्रावधान किए हैं. तदनुसार, शेरधारक के विशेष पर लाभ की प्राप्ति काफी हद तक हमारे इक्विटी शेयरर्स की कीमत में वृद्धि पर निर्भर हो सकती है. इस बात का कोई आश्वासन नहीं हो सकता है कि हमारे इक्विटी शेयरर्स का मूल्य बढ़ेगा. हमारे लाभांश इतिहास के विवरण के लिए, हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.blai.in पर उपलब्ध कंपनी के सूचना ज्ञापन में "लाभांश नीति" देखें.

9. हमने "उद्योग अवलोकन" शीर्षक वाले अध्याय में किए गए खुलासे के लिए कोई उद्योग रिपोर्ट नहीं दी है और इंटरनेट पर उपलब्ध डेटा के आधार पर खुलासा किया है और ऐसे डेटा को हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया गया है. हमने कोई उद्योग रिपोर्ट कमीशन नहीं की है. हमने उन प्रकटीकरणों के लिए उद्धृत वेबसाइट स्रोत से भी सहमति नहीं मांगी है, जिन्हें हमारी आधिकारिक वेबसाइट www.blai.in पर उपलब्ध कंपनी के सूचना ज्ञापन में "उद्योग अवलोकन" शीर्षक वाले अध्याय में उद्धृत किए जाने की आवश्यकता थी. हमने उक्त अध्याय में ऑनलाइन उपलब्ध प्रासंगिक उद्योग संबंधी डेटा के आधार पर खुलासा किया है जिसके लिए प्रासंगिक सहमति प्राप्त की गई है. हमने इस तरह के डेटा को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं किया है. हम आपके आवश्यक नहीं कर सकते हैं कि सत्यापित की गई कोई भी धारणा सही है या नहीं बदलेगी और तदनुसार, बाजार में हमारी स्थिति इस सूचना ज्ञापन में प्रस्तुत स्थिति से भिन्न हो सकती है. इसके अलावा, इस सूचना ज्ञापन में उल्लिखित उद्योग डेटा या जिन स्रोतों से डेटा एकत्र किया गया है, वे हमारी कंपनी में निवेश करने की सिफारिश नहीं हैं. तदनुसार, निवेशकों को इस संदर्भ में इस सूचना ज्ञापन में उद्योग संबंधी प्रकटीकरणों को पढ़ना चाहिए.

प्रलंबित मुकदमों का सारांश

सूचना ज्ञापन की तिथि पर लागू अनुसार, हमारी कंपनी, निदेशकों और प्रमोटर से जुड़े बकाया या लंबित मुकदमों का सारांश नीचे दिया गया है :

कार्यवाही के प्रकार	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
हमारी कंपनी के खिलाफ मामले		
आपराधिक कार्यवाही	शून्य	शून्य
सांविधिक या विनियामक कार्यवाही	शून्य	शून्य
अन्य लंबित कार्यवाही	शून्य	शून्य
कर कार्यवाही	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
हमारी कंपनी द्वारा दायर मामले		
आपराधिक कार्यवाही	शून्य	शून्य
अन्य लंबित कार्यवाही	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य

हमारे निदेशकों के खिलाफ मामले (व्यक्तिगत प्रमोटर के अलावा)		
आपराधिक कार्यवाही	शून्य	शून्य
सांविधिक या विनियामक कार्यवाही	शून्य	शून्य
अन्य तथ्यात्मक प्रलंबित कार्यवाही	शून्य	शून्य
कर कार्यवाही	शून्य	शून्य
कर कार्यवाही	शून्य	शून्य
हमारे निदेशकों द्वारा मामले (व्यक्तिगत प्रमोटर के अलावा)		
आपराधिक कार्यवाही		
अन्य तथ्यात्मक प्रलंबित कार्यवाही	शून्य	
कुल		
हमारे प्रमोटर के खिलाफ मामले		
आपराधिक कार्यवाही	शून्य	शून्य
सांविधिक या विनियामक कार्यवाही	शून्य	शून्य
अन्य तथ्यात्मक प्रलंबित कार्यवाही	शून्य	शून्य
कर कार्यवाही	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
हमारे प्रमोटर द्वारा मामले		
आपराधिक कार्यवाही		
अन्य तथ्यात्मक लंबित कार्यवाही	शून्य	
कुल		

पिछले 5 वित्तीय वर्षों में हमारे प्रमोटरों के खिलाफ की गई विनियामक / वैधानिक कार्रवाई : शून्य
हमारे प्रमोटरों के खिलाफ बकाया आपराधिक कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण : शून्य
31 मार्च, 20२२ तक अंतिम वित्तीय विवरणों की तारीख के बाद दोस प्रगति
पिछले तीन वर्षों के लिए बीईएमएल लिमिटेड ("डीमर्ज कंपनी") के शेयरों की उच्च, निम्न और औसत कीमतों का विवरण
पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टॉक एक्सचेंजों पर रिकॉर्ड किए गए उच्च, निम्न और औसत बाजार मूल्य और इन दिनों कारोबार किए गए इक्विटी शेयरर्स की संख्या नीचे दी गई है :

राज कोषीय	उच्च (₹.)	उच्चतम की तारीख	वॉल्यूम (इक्विटी शेयरर्स की संख्या)	निम्नतम (₹.)	निम्नतम की तारीख	निम्नतम की तारीख पर वॉल्यूम (इक्विटी शेयरर्स की संख्या)	निम्नतम की तारीख पर वॉल्यूम (इक्विटी शेयरर्स की संख्या)	निम्नतम की तारीख पर वॉल्यूम (इक्विटी शेयरर्स की संख्या)	वर्ष हेतु इक्विटी शेयरर्स का औसत बाजार मूल्य (₹.)
२0२१-22	2०८४	12/7/2०2१	५9४७7	११२०	४/23/२०2१	1४०62	१४०६2	1४9९.7४	
2०२०-२1	1५४४.२५	9-मार्च-२१	३००६0४	४३5					